तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु.। न्यायहित में एक अवसर दिया जाकर वास्ते बहस हेतु दिनांक 18/6/24 को पेश हो। [signature]
18/6/24	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 9/07/24 को पेश हो। [signature] आज्ञा से रीडर
9/7/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 23/9/24 को पेश हो। [signature] आदेश से रीडर
23/9/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 18/11/24 को पेश हो। [signature] आदेश से रीडर
18.11.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उप० विपक्षी सं० 1 से लगायत 04 के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी सं० 1 से लगायत 04 के अधिवक्ता ने जवाब पेश नहीं किया उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में बताया कि वादग्रस्त ग्राम सिदडीमाल तहसील भीलवाड़ा की आ० नं० 1691, 1697/1, 1358, 1737/2, 1425, 1541, 1602 प्रार्थी व विपक्षीगण की संयुक्त हक-अधिकार की भूमि है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी के विभाजन हेतु एकबाद प्रश्नगत से प्रस्तुत कर रखा है जिसके निस्तारण में समय लगने की संभावना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10-11-22 को अंतरिम निषेधाज्ञा विरुद्ध विपक्षीगण के जारी की गयी है। विपक्षीगण किसी किसान द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अन्तरण करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कायम रखा जाये। विपक्षी सं० 1 से 4 के अधिवक्ता ने अपनी कथन मे बताया कि वादग्रस्त आराजी मे विपक्षी के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के अनुसार किसानगण करने मे आपत्ति नही है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण के हक हिस्से को छोड़कर जारी करने मे आपत्ति नही है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड खतौनी सम्बत 2069-73 (फसली 2077) के खाता सं 23 मे ग्राम सिधौली के आ०नं० 1691, 1692/1, एवम् खाता सं० 24 मे 1525, 1541, 1602, व खाता सं० 22 के आ०नं० 1358, 1737/2 मे प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं 1 से लगायत 4 संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध मे मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतएव	

आदेश

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 RTA स्वीकार किया जाकर ग्राम सिदडियास प० स० सिदडियास त० भीलवाड़ा के आ०न० 1691, 1692/1, 1358, 1437/2, 1425, 1541, 1602 भूमि के सम्बन्ध मे अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय की जारी की जाती है कि मूलवाद के निस्तारण तक उपरोक्त आराजीयात की यथास्थिति रखी जावे। तहसीलदार भीलवाड़ा को निषेध की प्रति प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नं० से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा